

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
“कार्यालयीन आदेश”

रायपुर, दिनांक

एफ-9-15/2012/ज.शि.प्र./सात-4- विभागांतर्गत जन शिकायत निवारण के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में पाया गया कि लगभग 8500 प्रकरण निराकरण हेतु शेष हैं। इन प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु एतद् द्वारा एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। समिति में निम्नांकित अधिकारी होंगे :—

1. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
2. उप सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
2. समिति जन शिकायत प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार निराकरण करने की कार्यवाही करेगा एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में निराकरण संबंधी जानकारी अंकित कराने की कार्यवाही करेगा।
3. समिति द्वारा केवल गंभीर प्रकृति के शिकायत प्रकरणों को ही उच्च स्तर पर निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। सामान्य एवं न्यायालयीन प्रकृति के प्रकरणों का निराकरण समिति द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

(म) मंत्री जी डाय. बृद्धेश्वर

(डॉ. बी. ए. अग्रवाल)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायपुर, दिनांक 09 MAY 2012

एफ-9-15/2012/ज.शि.प्र./सात-4-

प्रतिलिपि:

1. निज सचिव, माननीय राजस्व मंत्री जी, छ.ग.शासन।
2. निज सचिव, सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग।
3. संयुक्त सचिव/उप सचिव, छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
4. अवर सचिव द्वय, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
5. समस्त अनुभाग अधिकारी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी एन.आई.सी. मंत्रालय की ओर राजस्व विभाग की वेब साईट www.cg.nic.in/Revenue में अपलोड करने हेतु।
7. श्री जी.पी.शुक्ला, मानचित्रकार एवं श्री बलभूद्र सिंह कंवर, सहायक ग्रेड-2 जनशिकायत प्रकोष्ठ, राजस्व विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग



YUS
21.5.12
Cane
25/5/12